# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

## बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 06/2023

**अपीलार्थी**

श्री विक्रमसिंह पुत्र श्री कर्नल गुमानसिंह राठौड, जाति राजपूत निवासी थलतारा हाउस, खातीपुरा जयपुर जरिए पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री पीरदानसिंह जाति राजपूत निवासी एटलस ओल्ड फतेह विलास, कुम्हारवाड़ा, माउण्ट आबू तहसील देलदर जिला सिरोही।

बनाम

**रेस्पोडेन्ट**

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही।

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थिति :

1. श्री नगेन्द्र मेडतिया अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
2. श्री जब्बरसिंह देवड़ा, नायब तहसीलदार सिरोही (पेरोकार सरकार)

**निर्णय** दिनांक : 29.07.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार देलदर के आदेश क्रमांक/PGKS/2023/29 दिनांक 28.06.2023 के विरूद्ध दिनांक 19.10.2023 को प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिरटर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया जिस पर रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा ओरिया पटवार हल्का ओरिया तहसील देलदर जिला सिरोही में खसरा संख्या 948 रकबा 3.05 बीघा एवं खसरा संख्या 947 रकबा 1.16 बीघा कुल किता दो कुल रकबा 5.01 बीघा भूमि श्री दिनेश अग्रवाल पुत्र श्री मोतीलाल अग्रवाल निवासी आबूपर्वत तथा श्रीमती खीमीबाई पत्नि श्री चौपाजी जाति पराडिया निवासी ओरिया के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की आई हुई थी। यह है कि अपीलांट ने उक्त आराजी को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 1422/2008 दिनांक 11.09.2008 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं उक्त विक्रय विलेख के आधार पर अपीलांट ने मातहत न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण दायर करने हेतु आवेदन किया, जिस पर मातहत न्यायालय ने उक्त आराजी का नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया तथा अपीलांट को बताया गया कि ग्राम ओरिया में

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई के बी.ए.आर.सी. ग्रेस प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु निजी खातेदारों की कृषि भूमि कुल 73.16 बीघा अवाप्ति हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 16.08.2002 को जारी की गई है। यह कि दिनांक 06.08.2004 को भाभा परमाणु केन्द्र मुम्बई ने एक पत्र भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को लिखकर सूचित किया कि ग्राम ओरिया की जो कृषि भूमि अवाप्ति के लिए प्रस्तावित थी, उसकी ग्रेस परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त अवाप्ति अधीन भूमि को मुक्त करवाने की कार्यवाही करें। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त पत्र के बावजूद विक्रय विलेख के आधार पर वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलांट के नाम दर्ज नहीं करने पर अपीलांट ने सहायक जिलाधीश, आबूपर्वत के समक्ष एक वाद वास्ते खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 07.10.2022 को निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसमें अपीलांट का वाद खारिज किया गया लेकिन उक्त निर्णय में तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण खुलवाए जाने हेतु पेश प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही कर उसे फैसल करें। उक्त निर्णय के बाद भी मातहत न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर जिला कलक्टर, सिरोही तथा उपशासन सचिव, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग राजस्थान से कोई निर्देश प्राप्त नहीं होने से प्रस्तुत विक्रय विलेखों के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जिससे अपीलांट उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। यह है कि अपीलांट द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेखों के आधार पर वादग्रस्त भूमि को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तथा मौके पर वर्तमान में काबिज होकर आराजी का उपयोग व उपभोग कर रहा है। भाभा परमाणु केन्द्र, मुम्बई द्वारा प्रोजेक्ट निरस्त हो जाने की सूचना दिनांक 06.08.2004 को ही भेजी जा चुकी है, उसके बाद उक्त भूमि अवाप्ति से मुक्त किए जाने का दायित्व राज्य सरकार का है, वर्ष 2004 से 2023 तक 19 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद भी राज्य सरकार से उक्त सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं होने के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जाना विधि सम्मत नहीं है। यह है कि भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 की अधिसूचना जारी होने के बाद दो वर्ष से अधिक समय तक अवाप्ति की कार्यवाही नहीं किए जाने तथा मुआवजा नहीं दिए जाने के कारण उक्त अधिसूचना का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उक्त अधिसूचना जारी हुए 20 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है, जिससे धारा 6 भूमि अवाप्ति अधिनियम की अधिसूचना का कोई प्रभाव आज नहीं है, फिर भी वर्ष 2008 से आज तक नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की है तथा उक्त आदेश पारित किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध होने से अपास्त किए जाने योग्य है। यदि नामान्तरकरण के जरिए क्रेता का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो जाता है तो उससे अवाप्ति की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपितु मुआवजा किस व्यक्ति को दिया जावे, इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं रहता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। पटवारी हल्का ओरिया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक आबूपर्वत की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम ओरिया में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र हेतु कृषि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही विचाराधीन होने से केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

1894 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार जारी अधिसूचना में उक्त कृषि आराजी प्रभावित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं होने से अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जाना फरमावें।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक/PGKS/2023/29 दिनांक 28.06.2023 की सत्यापित प्रति का भी अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवादित भूमि मौजा ओरिया पटवार हल्का ओरिया तहसील देलदर जिला सिरोही में खसरा संख्या 947 रकबा 1.16 बीघा एवं खसरा संख्या 948 रकबा 3.05 बीघा कुल किता दो कुल रकबा 5.01 बीघा भूमि श्री दिनेश अग्रवाल पुत्र श्री मोतीलाल अग्रवाल निवासी आबूपर्वत तथा श्रीमती खीमीबाई पत्नि श्री चौपाजी जाति पराडिया निवासी ओरिया की कृषि आराजी आई हुई थी। उपरोक्त कृषि आराजी को श्री दिनेश अग्रवाल पुत्र श्री मोतीलाल अग्रवाल निवासी आबूपर्वत तथा श्रीमती खीमीबाई पत्नि श्री चौपाजी जाति पराडिया निवासी ओरिया से अपीलांट द्वारा दिनांक 11.09.2008 को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ओरिया की रिपोर्ट दिनांक 13.11.2020 के आधार पर उक्त कृषि आराजी की अवाप्ति भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र हेतु प्रस्तावित होने से केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार जारी अधिसूचना में उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर भी प्रभावित हो रहे है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त वादग्रस्त आराजी की अवाप्ति भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र हेतु प्रस्तावित होने से अपीलांट के नाम से नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जाकर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि शासन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा जरिए पत्र क्रमांकः प.7(20)विप्रो/प.नि.प्र./93/9399–405 दिनांक 16.08.2002 के द्वारा ग्राम ओरिया की कुल 73.16 बीघा कृषि भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित होने से केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना जारी की गई थी, परन्तु उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात उक्त भूमि की अवाप्ति नहीं होने से प्रभारी अधिकारी, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र आबूपर्वत द्वारा अपने पत्र क्रमांक/BARC/NRL/A/107 दिनांक 06.08.2004 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को लिखा गया था कि वर्तमान में अवाप्ताधीन भूमि की ग्रेस परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त अवाप्ताधीन भूमि को मुक्त करवाने की कार्यवाही करावें। इसके पश्चात जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपने पत्र क्रमांक/प.15(1)(1)राज/04/2395–2396 दिनांक 10.06.2010 के द्वारा उप शासन सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान जयपुर को ग्राम ओरिया की भूमि अवाप्ति कार्यवाही को समाप्त करने बाबत् आवश्यक निर्देश प्रदान कराने हेतु लिखा गया था, परन्तु उनके द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार के कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए है तथा अनुसंधान केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी को अवाप्ति से मुक्त करावाए जाने की अनुशंषा की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है या नहीं, इसके सम्बन्ध में

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

वर्तमान में किसी भी प्रकार की जांच किए बिना ही पूर्व में मांगे गए मार्गदर्शन के आधार पर ही उक्त विवादित आदेश पारित किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक/PGKS/2023/29 दिनांक 28.06.2023 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की उक्त वादग्रस्त आराजी की वास्तविक वस्तुस्थिति का परीक्षण कर एवं वर्तमान में उक्त आराजी की अवाप्ति हेतु आवश्यकता होने अथवा नहीं होने के सम्बन्ध में प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट जांच कर व विभाग से निर्देश प्राप्त कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही संपादित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner